

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/21/2015/19/यो 5161

भोपाल दिनांक 24/08/2015

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 121वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 121वीं बैठक जो दिनांक 30.07.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	इंदौर	24/5054	कनाड से गोकन्या मार्ग	1.50	72.45
2	घार	42/5054	कुक्षी से तलावड़ी मार्ग	2.00	99.87
3	शिवपुरी	24/5054	गहलोनी से बेरजा मार्ग	5.08	375.70
4	सागर	24/5054	महाराजपुर से झमारा मार्ग	4.00	299.14
5	सागर	42/5054	सेमराबाग जिन्दा से फोरलेन मार्ग	6.60	529.36

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 42/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्यो हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियम अनुसार संपन्न कराये जावें तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।


3/ उक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाय।

(सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-05 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस० के० कुलकर्णी)

उप सचिव


म0प्र0 शासन लो०नि०वि०

पृ० क्रमांक एफ-43/21/2015/19/यो 5162
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 24/08/2015

- 1- मुख्य अभियंता (पश्चिम परि०) लोक निर्माण विभाग इन्दौर।
- 2- मुख्य अभियंता (उत्तर परि०) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
- 3- मुख्य अभियंता (सागर परि०) लोक निर्माण विभाग सागर।
- 4- निज सचिव, मान०. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 04 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- शून्य


उप सचिव
म०प्र० शासन लो०नि०वि०

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/21/2015/19/यो 5167

भोपाल दिनांक 24/08/2015

प्रति,

1 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।

2 प्रबंध संचालक
म0प्र0 सड़क विकास निगम
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 121वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा प्राक्कलन परीक्षण समिति तथा स्थायी वित्तीय समिति की 121वीं बैठक जो दिनांक 30.07.2015 अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार सिंहस्थ नद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	लागत (रु. लाख में)
1	उज्जैन	78	सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत उज्जैन इंदौर रोड़ पर त्रिवेणी ब्रिज से तपोभूमि उज्जैन सेन्ट्रल लाइटिंग कार्य	-	138.76
2	उज्जैन	78	नईखेड़ी से रेलवे स्टेशन पहुँच मार्ग	0.60	123.68
3	उज्जैन	78	लालपुल पहुँच मार्ग व्हाया पुरानी रजट का उन्नयन कार्य	0.63	151.79
4	उज्जैन	78	नानाखेड़ा के समीप प्राईवेट बसस्टैण्ड के परिसर का विकास कार्य	5040 Sqm	396.52
5	उज्जैन	78	नानाखेड़ा बस स्टैण्ड के शेष बचे हुए भाग का डामरीकरण	3480 Sqm	117.17
6	उज्जैन	78	हरिफाटक ब्रिज से क्षिप्रा नदी ब्रिज (लालपुल) तक पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य	6640 Sqm	66.14
7	उज्जैन	78	हरिफाटक ब्रिज (हरिफाटक से लालपुर) पर सीमेंट कांक्रीट एवं पेपर ब्लॉक लगाने का कार्य	9327 Sqm	172.85
8	उज्जैन	78	उज्जैन से बड़नगर मार्ग पर रामपाट बड़े पुल से मुल्लापुरा तक (कि. मी. 0 से 2.20 तक) फोरलेन मार्ग का निर्माण	2.20	523.84


2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मांग संख्या 78 के अंतर्गत सिंहस्थ-2016 में उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्यो हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापस किये जातें है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

-PATIL/SINGHAST-2016 -A-65-

- 4/ उपरोक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।
- 5/ उक्त कार्यो पर होने वाले व्यय हेतु आवंटन नगरीय प्रशासन विभाग से प्राप्त किया जाये।
- 6/ उक्त कार्यो को वेब साईड पर डाला जाय।
(सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-08 प्राक्कलन

म0प्र0 के-राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस0 के0 कुलकर्णी)


उप सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 24/08/2015

पृ0 कमाक एफ-43/21/2015/19/यो 5168
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त (बी0सी0ओ0) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल।
5. आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन।
6. कलेक्टर जिला उज्जैन म0प्र0
7. मेला अधिकारी सिंहरथ-2016 उज्जैन।
8. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (उज्जैन परि0) उज्जैन।
9. निज सचिव, मान.मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल कमांक 09 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य



उप सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/21/2015/19/यो 5463
प्रति,

भोपाल दिनांक 24/08/2015

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 121वीं बैठक
(उज्जैन शहर में हरी फाटक रेल्वे ओव्हर ब्रिज के इंदौर गेट का जंक्शन चौड़ीकरण कार्य)

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा प्राक्कलन परीक्षण समिति तथा स्थायी वित्तीय समिति की 121वीं बैठक जो दिनांक 30.07.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार उज्जैन शहर में हरी फाटक रेल्वे ओव्हर ब्रिज के इंदौर गेट का जंक्शन चौड़ीकरण कार्य हेतु जिसको लागत रू0 511.89 लाख (रू0 पाँच करोड़ ग्यारह लाख नवासी हजार) केवल से अधिक न हो की सिंहस्थ मद के अन्तर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में माँग संख्या 71 के अंतर्गत सिंहस्थ-2016 में उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग उक्त कार्य को आगामी अनुबजट में नगरीय प्रशासन विभाग के बजट में शामिल कराने हेतु आवश्यक प्रस्ताव भेजे।

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जावे।


5/ उक्त कार्य पर होने वाले व्यय हेतु आवंटन नगरीय प्रशासन विभाग से प्राप्त किया जाये।

6/ उक्त कार्य को वेब साईड पर डाला जाय।

(सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-01 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस0 के0 कुलकर्णी)

उप सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

/2/


पृ० कमांक एफ-43/21/2015/19/यो
प्रतिलिपि:-

5164

भोपाल दिनांक 24/08/2015

1. प्रमुख सचिव म०प्र० शासन नगरीय प्रशासन एवं-विकास विभाग भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, सचिव, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त (बी०सी०ओ०) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल।
5. आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन।
6. कलेक्टर जिला उज्जैन म०प्र०
7. मेला अधिकारी सिंहस्थ-2016 उज्जैन।
8. मुख्य अभियंता (उज्जैन परि०) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
9. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (सेतु परि.) भोपाल।
10. निज सचिव, मान.मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल कमांक 10 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


22/8/15

उप सचिव

म०प्र० शासन लोक निर्माण विभाग